



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल
के तत्वाधान में
समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा



उत्तराखण्ड शासन

दिनांक 09 सितम्बर, 2023 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

राज्य के समस्त जनपद तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
आयोग, श्रम न्यायालयों एवं ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में

राष्ट्रीय लोक अदालत

का आयोजन किया जा रहा है।

जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा, जैसे :-

- फौजदारी के शमनीय मामले,
- धारा 138 एन.आई. एक्ट सम्बन्धित मामले,
- मोटर दुर्घटना दावा मामले,
- वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले,
- श्रम सम्बन्धित मामले,
- भूमि अर्जन के मामले,
- दीवानी वाद,
- राजस्व सम्बन्धित वाद,
- विधुत एवं जलकर बिलों के मामले,
- वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले,
- धन वसूली से सम्बन्धित मामले,
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान,
- अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जायेगा।

अतः सर्वसाधारण से आग्रह है, कि, जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं वह दिनांक: 08 सितम्बर, 2023 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।

सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
दूरभाष: 05942-236762, फ़ैक्स: 05942-236552, ई0मेल0: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
टोल फ्री: 1800-180-4000